अनुसूची 14 फारम सं० 562

आदेश पत्रक– II

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र में की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्ता सहरसा

आपूर्ति अपील वाद सं0 03/18

उमेश चौधरी, ग्राम–आगर, पं0– कठडुमर
थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा

बनाम

बिहार सरकार

.....

आदेश

अपीलार्थी श्री उमेश चौधरी, ग्राम–आगर, पं0– कठडुमर थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के आदेश ज्ञापांक 1395–2 दि0 05.10.2017 द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अंतर्गत अपील वाद दायर किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थी द्वारा धारित जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है।

अपीलार्थी श्री चौधरी पर आरोप है कि वार्ड नं0 05, 06 एवं 07 के लाभुकों का माह जून, 2017 से अगस्त, 2017 तक का खाद्यान्न एवं किरासन तेल उठाव उनके द्वारा किया गया है जबकि वितरण सिर्फ माह जून, 2017 का किया गया है एवं निर्धारित दर से अधिक भुगतान लिया गया है।

उपर्युक्त आरोप के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा श्री चौधरी से कार्यालय ज्ञापांक 1237/गो0 दि0 13.09.2017 के द्वारा कारण पृच्छा की गई। जिसके जबाब में आरोपित जन वितरण प्रणाली विक्रेता का कथन है उनके द्वारा नियमित रूप से माह जून 17 एवं माह जुलाई 17 का खाद्यान्न का वितरण किया गया है। माह जुलाई 17 के खाद्यान्न का उठाव जान बूझकर कुछ लाभुक के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है जबकि अवशेष खाद्यान्न मेरे भंडार में सुरक्षित है। खाद्यान्न लेने में कुछ लाभुकों के द्वारा जान बूझकर मुझे परेशान करने के नीयत से खाद्यान्न नहीं लिया जा रहा है, कहा जाता है कि हम लोग तुम्हारे दुकान पर खाद्यान्न लेने नहीं जायेंगे। हमारे यहाँ लाकर बांटो जबकि खाद्यान्न मेरे दुकान में अब तक सुरक्षित है। आवेदक का पुनः कथन है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जॉच में जाने पर लाभुकों के द्वारा स्पष्ट रूप बतलाया गया कि मुझे उमेश चौधरी के द्वारा माह जून एवं जुलाई 2017 का खाद्यान्न प्राप्त है, जो राशन कार्ड में भी प्रविष्ट है। इसके

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र में की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
	बाबजूद भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मेरे विरूद्ध जॉच प्रतिवेदन श्रीमान को दिया गया, जो पक्षपातपूर्ण है जॉच के क्रम में उनके द्वारा मेरे दुकान का भी भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर ने 150–2 दि0 09.09.17 के हवाले से प्रतिवेदित किया है कि –" *स्थलीय जॉच के दौरान वार्ड नं0 05, 06 एवं 07 के लाभुकों के बीच गया एवं उनका बयान कलमबद्ध किया। उपस्थित वार्ड सं0 05, 06 एवं 07 के लाभुकों ने एक स्वर में कहा गया कि उन्हें माह अप्रैल से अब तक सिर्फ जून का खाद्यान्न एवं किरासन तेल मिला है। लाभुकों ने बताया कि उन्हें चावल 5.00 रू0 किलो एवं गेहूँ 4.00 रू0 किलो एवं किरासन तेल 25.00 लीटर की दर से दिया जाता है। उठाव पंजी जॉच के दौरान पाया गया कि संबंधित वार्डो का खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव श्री उमेश चौधरी द्वारा किया गया। माननीय सांसद महोदय द्वारा भी इस संबंध में पत्र दिया गया कि वार्ड सं0 5.6.7 लाभुकों को विगत चार–पॉच महीने से खाद्यान्न नहीं दिया गया है। श्री चौधरी को कई बार निर्देशित किया गया कि खाद्यान्न एवं किरासन तेल लाभुकों के बीच निर्धारित मूल्य पर एवं नियमानुसार वितरण करें, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लंघन है। इस कृत्य के लिए विक्रेता वा कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।*" सुनवाई के क्रम में निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री उमेश चौधरी के द्वारा यद्यपि खाद्यान्न वितरण एवं किरासन तेल के वितरण में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा अनियमितता की पुष्टि करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया है परंतु उन्होंने संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के भंडार पंजी एवं वितरण पंजी का मिलान नहीं किया है। श्री चौधरी ने अपने बचाव बयान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि लाभकों के द्वारा जान–बूझकर खाद्यान्न प्राप्त नहीं की जा रही है तथा वह खाद्यान्न उनके भंडार में अवशेष सुरक्षित रखा हुआ है। सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव स्वयं विक्रेता के दुकान पर जाकर करना है परंतु लाभुकों द्वारा ऐसा न कर खाद्यान्न नहीं दिये जाने का आरोप लगाया है। जहॉ तक लाभुकों से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का मूल्य अधिक लिये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में भी अपने जॉच के क्रम में आपूर्ति निरीक्षक ने विक्रेता द्वारा निर्गत कैश–मैमो अथवा अन्य कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे	

अनुसूची 14 फारम सं० 562

आदेश पत्रक– II

आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र में की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

निर्धारित दर से अधिक राशि लिये जाने की पुष्टि हो। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का आदेश ज्ञापांक 1395–2 दि0 05.10.2017, जिसके द्वारा श्री चौधरी के अनुज्ञप्ति को रद्द की गई है, संदेह पर आधारित प्रतीत होती है। जो कहीं से भी उचित नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन तथा अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा समुचित साक्ष्य के अभाव में ही अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। इस प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित साक्ष्य प्राप्त कर के ही की जानी चाहिए थी, फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश ज्ञापांक 1395–2 दि0 05.10.2017 तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

सहायक,
सहरसा

सहायक,
सहरसा

ज्ञापांक 381 /न्याया0,सहरसा, दिनांक 25.07.19

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

25/07/19

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

25/07/19